रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2003/चैत्र 10, 1925

No. 149] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2003/CHAITRA 10, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

सा.का.नि. 261(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 195"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2003 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारित होंगी जो राज्यों में सहायता अनुदान के रूप में,—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में इसके सामने जो राशियां विनिर्दिष्ट हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए

अनुदान के लिए हैं:-

सारणी

राज्य	रु0 लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	15204.83
असम	2334.47
बिहार	16312.50
छत्तीसगढ़	4200.38
गोवा	92.72
गुजरात	10441.30
हरियाणा	2941.74
हिमाचल प्रदेश	656.69
कर्नाटक	3941.17
केरल	6592.58
मध्य प्रदेश	10109.00
महाराष्ट्र	6567.29
मेघालय	256.08
मिजोरम	157.10
नागालैंड	128.66
उड़ीसा	3455.88
पंजाब	9278.13
राजस्थान	4909.48
सिक्किम	52.92
तमिलनाडु	4661.18
त्रिपुरा	284.59
उत्तर प्रदेश	11671.33
पश्चिमी बंगाल	5777.29

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उसके सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में जो राशियों विनिर्दिष्ट हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के लिए हैं :-

सारणी

राज्य	रु0 लाख में
(1)	(2)
आन्ध प्रदेश	2483.71
अरुणाचल प्रदेश	20.50
असम	646.26
बिहार	3352.35
छत्तीसगढ़	572.23
गोवा	46.36
गुजरात	3975.69
हरियाणा	732.80
हिमाचल प्रदेश	116.76
जम्मू-कश्मीर	469.74
झारखंड	1342.50
कर्नाटक	3744.58
केरल	1504.91
मध्य प्रदेश	3822.00
महाराष्ट्र	3162.54
मणिपुर	131.88
मेघालय	80.97
मिजोरम	76.89
नागालैंड	53.58
उड़ीसा	399.60
पंजाब	1641.79
राजस्थान	994.16
सिक्किम	6.24
तमिलनाडु	1933.67
त्रिपुरा	40.16
उत्तर प्रदेश	2278.82

उत्तरांचल	712.50
पश्चिमी बंगाल	3949.78

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्यान 8 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के निबंधनों के अनसार और इस संबंध में अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी:

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को, आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिया जाना है ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(5)/2003-विधायी-1]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

G.S.R. 261(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

" C.O. 195 "

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 4 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely: —

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues of —

(*a*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—

Table

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	15204.83
Assam	2334.47
Bihar	16312.50
Chhattisgarh	4200.38
Goa	92.72
Gujarat	10441.30
Haryana	2941.74
Himachal Pradesh	656.69
Karnataka	3941.17
Kerala	6592.58
Madhya Pradesh	10109.00
Maharashtra	6567.29
Meghalaya	256.08
Mizoram	157.10
Nagaland	128.66
Orissa	3455.88
Punjab	9278.13
Rajasthan	4909.48
Sikkim	52.92
Tamil Nadu	4661.18
Tripura	284.59
Uttar Pradesh	11671.33
West Bengal	5777.29

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

(*b*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local

Bodies:—

Table

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	2483.71
Arunachal Pradesh	20.50
Assam	646.26
Bihar	3352.35
Chhattisgarh	572.23
Goa	46.36
Gujarat	3975.69
Haryana	732.80
Himachal Pradesh	116.76
Jammu and Kashmir	469.74
Jharkhand	1342.50
Karnataka	3744.58
Kerala	1504.91
Madhya Pradesh	3822.00
Maharashtra	3162.54
Manipur	131.88
Meghalaya	80.97
Mizoram	76.89
Nagaland	53.58
Orissa	399.60
Punjab	1641.79
Rajasthan	994.16
Sikkim	6.24
Tamil Nadu	1933.67
Tripura	40.16
Uttar Pradesh	2278.82
Uttaranchal	712.50
West Bengal	3949.78:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Eleventh Finance Commission as contained in Chapter VIII of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants:

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President

[F. No. 19(5)/2003-L-I]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.